

# झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, पलामू।

विज्ञापन संख्या-01/2023

## पलामू जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए विज्ञापन।

1. पलामू जिला के गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए रिक्तियों के विरुद्ध सुयोग्य उम्मीदवारों से ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। ग्रामीण गृह रक्षक तथा शहरी गृह रक्षक के लिए ऑनलाईन आवेदन विहित प्रपत्र में अलग-अलग करेंगे।

**नोट :-** गृह रक्षा वाहिनी एक स्वयंसेवक संगठन है तथा गृह रक्षक उसके स्वयंसेवी सदस्य होते हैं। जितने दिन आवश्यकतानुसार उन्हें कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त किया जाता है, उतने कार्य दिवस के लिए सरकार द्वारा निर्धारित दर पर भत्ता भुगतान देय होता है। यह कोई वैतनिक सरकारी नौकरी या आजीविका का माध्यम नहीं है। अतः उन्हीं उम्मीदवारों से आवेदन की अपेक्षा की जाती है, जो राष्ट्र की सेवा निःस्वार्थ करने के लिए तैयार हों।

2. गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए उपलब्ध रिक्ति निम्नवत् है, यह औपबधिक संख्या है, जिसे बिना पूर्व सूचना के संशोधित/घटाया/बढ़ाया जा सकता है।

(क) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

क्रम सं०	प्रखण्ड का नाम	पुरुष/महिला रिक्ति		
		महिला	पुरुष	कुल रिक्ति
1	सदर	31	31	62
2	चैनपुर	29	29	58
3	रामगढ	54	54	108
4	नीलाम्बर-पीताम्बरपुर (लेस्लीगंज)	24	24	48
5	तरहसी	41	41	82
6	सतबरवा	20	20	40
7	पांकी	32	32	64
8	मनातू	48	47	95
9	पाटन	24	24	48
10	पड़वा	33	33	66
11	नावा-बाजार	51	51	102
12	नौडिहा बाजार	54	54	108
13	छतरपुर	31	30	61
14	हरिहरगंज	48	48	96
15	पीपरा	48	48	96
16	हुसैनाबाद	43	43	86
17	हैदरनगर	47	46	93
18	मोहम्मदगंज	46	46	92
19	विश्रामपुर	46	46	92
20	पाण्डू	53	53	106
21	उँटारी रोड़	47	46	93
कुल-		850	846	1696

(ख) शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति :-

शहरी	पुरुष/महिला रिक्ति		
	महिला	पुरुष	कुल रिक्ति
कुल-	91	90	181

उपरोक्त दोनों कोटि (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक) के लिए नामांकन में 50 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए कर्णांकित होंगे।

महिलाओं के लिए कर्णांकित पदों में से 5 प्रतिशत पद अहर्ता प्राप्त तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। तलाकशुदा/परित्यक्ता/विधवा अभ्यर्थी के उपलब्ध नहीं रहने के स्थिति में उक्त 5 प्रतिशत पद पुनः महिलाओं के लिए कर्णांकित प्रतिशत में समाहित हो जायेगा।

शहरी गृह रक्षकों के लिए रिक्ति में 50 प्रतिशत पद तकनीकी दक्ष उम्मीदवारों के लिए होगा। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर गैर-तकनीकी/तकनीकी दक्ष की रिक्ति एक दूसरे से भरी जायेगी।

3. अहर्ता :-

(क) आवासीय :-

(i) ग्रामीण गृह रक्षक :- अभ्यर्थी को पलामू जिला के उस प्रखण्ड का स्थायी निवासी होना चाहिए, जहाँ से ग्रामीण गृह रक्षक के रूप में नामांकन के लिए ऑनलाईन आवेदन करेंगे। (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है)।

(ii) शहरी गृह रक्षक :- अभ्यर्थी को पलामू जिला के शहरी क्षेत्र का सामान्य निवासी होना चाहिए। (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है)।

(ख) उम्र सीमा :- 01.01.2023 को 19 से 40 वर्ष (जन्मतिथि 01.01.1983 से 01.01.2004 के बीच)।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जन्मतिथि से संबंधित प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है)।

(ग) शैक्षणिक योग्यता :-

(i) ग्रामीण गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम 7वीं पास।

(ii) शहरी गृह रक्षकों के लिए न्यूनतम मैट्रिक (10वीं) पास।

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत शैक्षणिक प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है)।

(घ) शारीरिक मापदण्ड :- (ग्रामीण/शहरी गृह रक्षक दोनों के लिए समान)।

(i) लम्बाई-पुरुष - 162 से 0मी0 (सामान्य/ओ0बी0सी0/बी0सी0)

157 से 0मी0 (अ0ज0जा0/अ0जा0)

महिला - 148 से 0मी0 (सभी के लिए)

(ii) सीना-पुरुष - 79 से 0मी0 (सामान्य/ओ0बी0सी0/बी0सी0)

76 से 0मी0 (अ0ज0जा0/अ0जा0)

(शारीरिक माप में छूट के लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है)।

(ड) तकनीकी दक्षता (सिर्फ तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए) :- अभ्यर्थी को विभिन्न तकनीकी क्षेत्रों में दक्ष होना चाहिए तथा उससे संबंधित किसी कार्यालय में कार्यरत/स्वनियोजित तथा तकनीकी जानकार होना चाहिए। इन जानकारों को सामान्य रूप से तकनीकी योग्य माना जायेगा:- चिकित्सक, अभियंता, अधिवक्ता, प्राध्यापक, नर्स, कम्प्यूटर ऑपरेटर, टंकक, लाईसेंसधारी चालक (एच0एम0भी0/एल0एम0भी0) रसोईया, बढ़ई, मोची, धोबी, नाई, बिजली मिस्त्री, माली पलम्बर आदि। (सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है)।

4. चयन प्रक्रिया :- गृह विभाग झारखण्ड सरकार राँची की अधिसूचना सं0-5442, दिनांक- 20.10.2014 के आलोक में चयन समिति द्वारा निर्धारित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत निम्नलिखित जाँच परीक्षा ली जायेगी।

(क) शारीरिक जाँच परीक्षा :- इसके अन्तर्गत 1 (एक) मील की दौड़, ऊँची कूद, लम्बी कूद, शॉट पूट, सम्मिलित होगा, जिसमें निम्नवत् अंक प्रदान किया जायेगा।

(i) ग्रामीण गृह रक्षक तथा गैर-तकनीकी शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (1 मील)	5 मिनट या पहले - 20 अंक 5 से अधिक 6 मिनट तक - 10 अंक 6 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले - 20 अंक 8 से अधिक 10 मिनट तक - 10 अंक 10 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 4 फीट - 5 अंक (ख) 4-4'3" - 6 अंक (ग) 4'3"- 4'6" - 7 अंक (घ) 4'6" - 4'9" - 8 अंक (च) 4'9"-5' - 9 अंक (छ) 5' से अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 3 फीट - 5 अंक (ख) 3-3'3" - 6 अंक (ग) 3'3"-3'6" - 7 अंक (घ) 3'6"-3'9" - 8 अंक (च) 3'9"-4' - 9 अंक (छ) 4' से अधिक - 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 12 फीट - 5 अंक (ख) 12'-13' - 6 अंक (ग) 13'-14' - 7 अंक (घ) 14'-15' - 8 अंक (च) 15'-16' - 9 अंक (छ) 16' से अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 9 फीट - 5 अंक (ख) 9'-10' - 6 अंक (ग) 10'-11' - 7 अंक (घ) 11'-12' - 8 अंक (च) 12'-13' - 9 अंक (छ) 13' से अधिक - 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड - न्यूनतम 16 फीट	10 पौण्ड - न्यूनतम 10 फीट

(ii) तकनीकी दक्ष शहरी गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए-

जाँच	पुरुष	महिला
दौड़ (1 मील)	6 मिनट या पहले - 20 अंक 6 मिनट से अधिक 8 मिनट तक-10 अंक 8 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।	8 मिनट या पहले - 20 अंक 8 मिनट से अधिक 12 मिनट तक- 10 अंक 12 मिनट से अधिक समय लेने वाले अयोग्य माने जायेंगे।
ऊँची कूद	(क) न्यूनतम 3.5 फीट - 5 अंक (ख) 4' और अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 2.5 फीट - 5 अंक (ख) 3' और अधिक - 10 अंक
लम्बी कूद	(क) न्यूनतम 9 फीट - 5 अंक (ख) 10' और अधिक - 10 अंक	(क) न्यूनतम 6 फीट - 5 अंक (ख) 7' और अधिक - 10 अंक
शॉट पूट	16 पौण्ड - न्यूनतम 12 फीट	10 पौण्ड - न्यूनतम 8 फीट

(ख) हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा :-शारीरिक जाँच में योग्य पाये जाने पर अभ्यर्थी को हिन्दी लेखन क्षमता की परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। जिसमें ग्रामीण गृह रक्षक के लिए 7वीं

कक्षा तथा शहरी गृह रक्षक के 10वीं कक्षा के स्तर अनुसार लेखन क्षमता कि जाँच की जायेगी। यह क्वालिफाईंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(ग) तकनीकी दक्षता परीक्षा (सिर्फ शहरी तकनीकी दक्ष गृह रक्षक अभ्यर्थियों के लिए):- शारीरिक जाँच परीक्षा एवं हिन्दी लेखन क्षमता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों की तकनीकी दक्षता परीक्षा ली जायेगी, जो क्वालिफाईंग होगा। पूर्णांक 100 एवं उत्तीर्णांक 30 होगा।

(घ) सभी जाँच परीक्षा की समाप्ति के बाद उपर्युक्त अधिसूचना में दिये गये प्रावधान के आधार पर मेधा सूची तैयार की जायेगी। जिसके आलोक में रिक्ति के विरुद्ध चयन किया जायेगा। चयनित अभ्यर्थियों के सभी प्रमाण पत्र/अभिलेख/दस्तावेज, चिकित्सीय जाँच तथा पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराने के पश्चात् उसे अनुकूल पाये जाने पर चयनित अभ्यर्थियों को मुख्यालय, झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी, राँची के आदेशोपरान्त गृह रक्षक बुनियादी प्रशिक्षण दिया जायेगा। प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूर्ण करने पर उन्हें गृह रक्षक के रूप में नामांकन कर प्रावधान अनुसार नामांकन प्रमाण-पत्र निर्गत किया जायेगा।

5. अभ्यर्थी जो राष्ट्र/राज्य स्तरीय खेलकूद में पुरस्कृत हुए हैं, उन्हें निम्नवत् अतिरिक्त अंक प्रदान किया जायेगा :-

(सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र अपलोड करना अनिवार्य है)।


स्थान	राष्ट्रीय	राज्य स्तरीय
प्रथम	6 अंक	3 अंक
द्वितीय	4 अंक	2 अंक
तृतीय	2 अंक	1 अंक


6. शहरी गृह रक्षक के रूप में सरकारी सेवकों को शहरी गृह रक्षक के पूर्ण रिक्तियों के 10 प्रतिशत नामांकित करने की सीमा निर्धारण है। सरकारी सेवकों को उनके शैक्षणिक योग्यता के आधार पर निम्नवत् अंक दिये जायेंगे:-


शैक्षणिक योग्यता	अंक
स्नातकोत्तर	10 अंक
स्नातक	8 अंक
इण्टरमीडिएट	6 अंक
मैट्रिक	4 अंक

7. आवेदन कैसे करें :- आवेदक केवल JAP IT राँची, झारखण्ड द्वारा उपलब्ध कराये गये वेबसाईट-<https://recruitment.jharkhand.gov.in/> पर ही दिनांक-25/03/2023 से दिनांक-08/04/2023 तक अपना आवेदन ONLINE (ऑनलाईन) कर पायेंगे। किसी भी स्थिति में आवेदक द्वारा OFFLINE/POST के माध्यम से आवेदन स्वीकार नहीं किया जायेगा। आवेदन शुल्क की राशि 100 (एक सौ) रुपये है। जो उपरोक्त वेबसाईट पर दिये गये लिंक के माध्यम से ही किया जाना अनिवार्य है।
8. ऑनलाईन आवेदन में आवेदक द्वारा अपना पासपोर्ट साईज रंगीन फोटो, हस्ताक्षर एवं पहचान पत्र अपलोड करना अनिवार्य है।

9. आवेदक अपना आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, तकनीकी योग्यता से संबंधित प्रमाण पत्र (तकनीकी गृह रक्षकों के लिए), कार्यानुभव से संबंधित प्रमाण पत्र (यदि, कार्य अनुभव हो तो), खेल-कूद से संबंधित प्रमाण पत्र (केवल राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय खेलकूद प्रतिस्पर्धा में प्रथम/द्वितीय/तृतीय स्थान पर चयनित हुए हों तो) को ऑनलाईन आवेदन के साथ अपलोड करेंगे।
10. आवेदक से एक ही आवेदन पत्र स्वीकार्य होगा। एक से अधिक आवेदन पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी का आवेदन स्वतः रद्द समझा जायेगा।
11. अहर्ता के अनुरूप आवेदक से ऑनलाईन आवेदन में मांगी गई सभी विवरणी को पूर्णरूपेण भरा जाना अनिवार्य है।
12. ऑनलाईन आवेदन भरने में किसी प्रकार की तकनीकी कठिनाई होने की स्थिति में आवेदक एन0आई0सी0 कार्यालय, पलामू से संपर्क स्थापित कर सकते हैं।
13. आवेदक द्वारा आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राईविंग लाईसेंस/पैन कार्ड इत्यादि में से किसी एक का विवरण ऑन-लाईन आवेदन में देना अनिवार्य है।
14. अनिवार्य अहर्ता पूरा नहीं किये जाने वाले अभ्यर्थी का ऑनलाईन आवेदन समर्पित नहीं होगी।
15. जाँच/परीक्षा की तिथि एवं स्थान की सूचना बाद में दैनिक समाचार पत्रों/  
[WWW.palamu.nic.in](http://WWW.palamu.nic.in) के माध्यम से दी जायेगी।
16. अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में की गई प्रविष्टि गलत पाये जाने पर संबंधित अभ्यर्थी के आवेदन को स्वतः रद्द समझा जायेगा।
17. ऑनलाईन आवेदन भरने से संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट—  
<https://recruitment.jharkhand.gov.in/> पर उपलब्ध है।
18. योग्य अभ्यर्थियों को ऑनलाईन आवेदन करने की सुविधा दिनांक—25/03/2023 से दिनांक—08/04/2023 तक <https://recruitment.jharkhand.gov.in/> पर उपलब्ध रहेगी। विहित तिथि के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

  
 पुलिस उपाधीक्षक (मु0) गढ़वा  
 -सह-  
 जिला समादेष्टा,  
 झारखण्ड गृह रक्षा वाहिनी,  
 पलामू।

  
 13.02.23  
 पुलिस अधीक्षक,  
 पलामू।

  
 12/1/23  
 उपायुक्त,  
 पलामू।